

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JAIPUR, राजस्थान

क्रमांक: DEO(HO) Sec/JPR/L-5/2025/1473 दिनांक 24.01.2025

सचिव

प्रबंध समिति

Evolution International School

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 51450 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Evolution International School पता Vastu Shri, Mangayawas, PRN-South, Sector - G, Mangyawas, Mansarovar ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय SANGANER CITY(Greater Jaipur) ब्लॉक SANGANER CITY(U) आसा पास (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) 55 खसरा न. 54 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	Evolution International School
स्वीकृत नवीन नाम	THE SHRI RAM UNIVERSAL SCHOOL

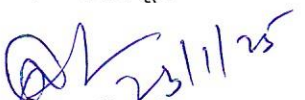
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक
जयपुर

NO : CBSE/1730837/EX-02643-2324/2023-24/

Dated: 12/09/2022

**The Manager,
 ÈVOLUTION INT SCH NEW SANGANAIR ROAD JAIPUR RAJ
 VASTU SHRI MANGYAWAS,NEW SANGANAIR ROAD
 RAJASTHAN,JAIPUR, 302020
 (M: 0-8239361111)**

SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level .

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	1730837
School No	11187
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2023 to 31.03.2028

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.

"The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

ENROLMENT TABLE

SN	Location of School	Campus area	Affiliation Allowed	Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)
A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28
D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	Up to Class-XII The number of sections shall be restricted in accordance with ‘H’ above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	
· The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school.				
· The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school.				
· For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet				

Important Notes : NA

School is required to appoint wellness teacher as per affiliation bye laws.

This is an electronically generated document. It does not need any signature.

*To verify the authenticity of the document , please visit
<http://www.saras.cbse.gov.in/saras/AffiliatedList/ListOfSchdirReport>).*

Print